SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की प्रासंगिकता

संगीता शर्मा, Ph. D., विधि विभाग
ग्वालियर विधि महाविद्यालय ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
संगीता शर्मा, Ph. D.
E-mail : Sangeetasharma1694@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 09/09/2024
Revised on : 09/11/2024
Accepted on : 19/11/2024
Overall Similarity : 00% on 11/11/2024

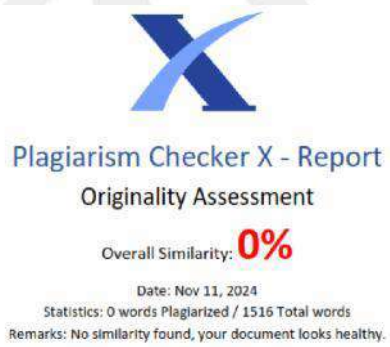

शोध सार

वर्तमान समय में आतंकवाद भारत में एक भयावह रूप धारण कर चुका है। स्वतंत्र भारत में जो आतंकवादी व्यवहार पनप रहा है वह राष्ट्र में व्याप्त असमानताओं का परिणाम है। भारत में आतंकवाद दुनिया के किसी भी राष्ट्र से अधिक है। पाकिस्तान के लश्कर–ए–तैयबा और जैश–ए–मोहम्मद व बांग्लादेश के हरकत–उल– जहाद–ए –इस्लामी बांग्लादेश जैसे आतंकवादी समूहों से 'लगातार और गंभीर बाहरी खतरों के अलावा भारत घरेलू आतंकवादी समूहों के भी हमले झेल रहा है। आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसके महत्वपूर्ण अंर्तराष्ट्रीय पक्ष हैं। आतंकवाद आंतरिक या बाह्य शक्तियों द्वारा प्रेरित या संचालित होता है। एक देश द्वारा दूसरे देश के आतंककारियों को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, हथियार तथा अन्य तरीकों से समर्थन देने की प्रवृत्ति व घटनाएं वर्तमान समय में अधिक पाई जाती हैं इसीलिए इस समस्या का समाधान केवल आंतरिक कानून और सुरक्षा साधनों के द्वारा संभव नहीं है। अतः इस समस्या को अंर्तराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने की बहुत आवश्यकता है। आज आतंकवाद लगभग सभी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं राजनयिक चुनौती बन गया है।

मुख्य शब्द

भारतीय कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, आतंकवाद निरोधक कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980.

जम्मू–काश्मीर को छोड़कर समस्त भारतीय परिक्षेत्र के लिए भारतीय संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980) लागू कर दिया गया।

यह कानून 18 सेक्शनों में लागू किया गया तथा इस समय तत्कालीन सरकार चौधरी चरण सिंह (प्रधानमंत्री) के नेतृत्व वाली सरकार थी, जिसके अंर्तगत

यह प्रमुख था कि किसी भी व्यक्ति को 12 माह तक निरोध में उस समय भी रखा जा सकता है जबकि उसके द्वारा किसी भी प्रकार के शांति भंग होने की सम्भावना हो। उसे जिला कलेक्टर अथवा जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा भी निरोध में रखे जाने का आदेश दिया जा सकता है।

इस कानून के अंर्तगत मुख्य बात यह है कि इसे यह कहते हुए लागू किया गया कि यह आतंकवाद निरोधक कानून के रूप में है, जबकि इस समस्त कानून में कहीं भी आतंकवाद निरोधक धारा नहीं है। यह मुख्य रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधि निरोधक कानून के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है।

भारतीय विधि विभाग द्वारा 1993 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 72.3 प्रतिशत वे व्यक्ति जो इस कानून की धाराओं के अंर्तगत गिरफ्तार किये गये थे वे सभी साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिये गये।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम–1980, देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को गिरफ्तारी का अधिकार देता है। अगर सरकार को लगता कि कोई व्यक्ति उसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने से रोक रहा है तो वह उसे गिरफ्तार करने की शक्ति दे सकती है। साथ ही, अगर उसे लगे कि वह व्यक्ति आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बन रहा है तो वह उसे गिरफ्तार करवा सकती है।

इस कानून के तहत जमाखोरों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। इस कानून का उपयोग जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है। अगर सरकार को ये लगे के कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से देश में रह रहा है और उसे गिरफ्तारी की नौबत आ रही है तो वह उसे गिरफ्तार करवा सकती है।

इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को पहले तीन महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर, आवश्यकतानुसार, तीन–तीन महीने के लिए गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाई जा सकती है। एकबार में तीन महीने से अधिक की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है। अगर, किसी अधिकारी ने ये गिरफ्तारी की हो तो उसे राज्य सरकार को बताना होता है कि उसने किस आधार पर ये गिरफ्तारी की है। जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी का अनुमोदन नहीं कर दे, तब तक यह गिरफ्तारी बारह दिन से ज्यादा समय तक नहीं हो सकती है।

अगर यह अधिकारी पांच से दस दिन में जवाब दाखिल करता है तो इस अवधि को बारह की जगह पंद्रह दिन की जा सकती है। अगर रिपोर्ट को राज्य सरकार स्वीकृत कर देती है तो इसे सात दिनों के भीतर केंद्र सरकार को भेजना होता है। इसमें इस बात का जिक्र करना आवश्यक है कि किस आधार पर यह आदेश जारी किया गया और राज्य सरकार का इस पर क्या विचार है और यह आदेश क्यों जरूरी है।

सीसीपी, 1973 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश जारी किया जाता है, उसकी गिरफ्तारी भारत में कहीं भी हो सकती है। गिरफ्तारी के आदेश का नियमन किसी भी व्यक्ति पर किया जा सकता है। उसे एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। हां, संबंधित राज्य सरकार के संज्ञान के बगैर व्यक्ति को उस राज्य में नहीं भेजा जा सकता है।

गिरफ्तारी के आदेश को सिर्फ इस आधार पर अवैध नहीं माना जा सकता है कि इसमें से एक या दो कारण (1) अस्पष्ट हो (2) उसका अस्तित्व नहीं हो (3) अप्रसांगिक हो (4) उस व्यक्ति से संबंधित नहीं हो इसलिए किसी अधिकारी को उपरोक्त आधार पर गिरफ्तारी का आदेश पालन करने से नहीं रोका जा सकता है। गिरफ्तारी के आदेश को इसलिए अवैध करार नहीं दिया जा सकता है कि वह व्यक्ति उस क्षेत्र से बाहर हो जहां से उसके खिलाफ आदेश जारी किया गया है। अगर वह व्यक्ति फरार हो तो सरकार या अधिकारीः

1) वह व्यक्ति के निवास क्षेत्र के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट को लिखित रूप से रिपोर्ट दे सकता है।
2) अधिसूचना जारी कर व्यक्ति को तय समय सीमा के अंदर बताई गई जगह पर उपस्थित करने के लिए कह सकता है।
3) अगर, वह व्यक्ति उपरोक्त अधिसूचना का पालन नहीं करता है तो उसकी सजा एक साल और जुर्माना, या

दोनों बाढ़ाई जा सकती है

इस अधिनियम के उद्देश्य से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आवश्यकता के अनुसार एक या एक से अधिक सलाहकार समितियां बना सकती हैं। इस समिति में तीन सदस्य होंगे, जिसमें प्रत्येक एक उच्च न्यायालय के सदस्य रहे हों या हो या होने के योग्य हों। समिति के सदस्य सरकार नियुक्त करती हैं। संघ शासित प्रदेश में सलाहकार समिति के सदस्य किसी राज्य के न्यायधीश या उसकी क्षमता वाले व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकेगा। नियुक्ति से पहले इस विषय में संबंधित राज्य से अनुमति लेना आवश्यक है।

इस कानून के तहत गिरफ्तार किसी व्यक्ति को तीन सप्ताह के अंदर सलाहकार समिति के सामने उपस्थित करना होता है साथ ही सरकार या गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को यह भी बताना पड़ता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया।

सलाहकार समिति उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर विचार करता है या वह नए तथ्य पेश करने के लिए कह सकता है। सुनवाई के बाद समिति को सात सप्ताह के भीतर सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। सलाह बोर्ड को अपनी रिपोर्ट में साफ–साफ लिखना होता है कि गिरफ्तारी के जो कारण बताए गए हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं।

अगर सलाहकार समिति के सदस्यों के बीच मतभेद है तो बहुलता के आधार पर निर्णय माना जाता है। सलाहकार बोर्ड से जुड़े किसी मामले में गिरफ्तार व्यक्ति की ओर से कोई वकील उसका पक्ष नहीं रख सकता है और सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट गोपनीय रखने का प्रावधान है।

अगर सलाहकार बोर्ड व्यक्ति की गिरफ्तारी के कारणों को सही मानता है तो सरकार उसकी गिरफ्तारी को उपयुक्त समय, जितना पर्याप्त वह समझती है, तक बढ़ा सकता है। अगर समिति गिरफ्तारी के कारणों को पर्याप्त नहीं मानती है तो गिरफ्तारी का आदेश रद्द हो जाता है और व्यक्ति को रिहा करना पड़ता है।

अगर, गिरफ्तारी के कारण पर्याप्त साबित हो जाते हैं तो व्यक्ति को गिरफ्तारी की अवधि से एक साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। समयावधि पूरा होने से पहले न तो सजा समाप्त की जा सकती है और ना ही उसमें फेरबदल हो सकता है।

गिरफ्तारी के आदेश को रद्द किया जा सकता है या बदला जा सकता है इसके बावजूद, कि गिरफ्तारी केंद्र या राज्य सरकार के आदेश के उसके अधीनस्थ अधिकारी ने की है।

निष्कर्ष

भारतीय विधि एवं विधि प्रक्रिया के प्रभावी उपयोग के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम सामान्य अपराधी और आतंकवादी अपराधियों के मध्य श्रेणी विभाजन करते हुए प्रकरणों का निर्धारण एवं सुनवाई करें यह बात अत्यन्त ही चिंताजनक है कि जहाँ एक ओर 2004 के उपरांत भारत में आतंकवादी घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर भारत में कोई भी आतंकवाद निरोधक कानून वर्तमान में प्रचलित नहीं है तथा जितने भी कानून बनाये गये वे केवल केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों की कार्यपालिका शक्ति को और अधिक मजबूत करने के उददेश्य से ही बनाये गये ना की आतंकवाद निरोधक प्रभावी कानून के रूप में उपयोग किये जाने हेतु इस विषय पर चिंतन आवश्यक हैं।

संदर्भ सूची

1. आल्टरमेन, जे.बी; हाउटेर्ररिज्म एंड्स, (1999) यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, वाशिंगटन डीसी।
2. बोलिंजर, एल. (1985) *टेर्ररिज्म कंडक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ ए साइकोलोजिकल प्रोसेस,* प्लीनम, न्यूयार्क।
3. चंद्र, बी. (2000) *इंडिया सीन्स इंडिपेंडेंस,* पेगुइन बुक्स, नई दिल्ली।

****